बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

''बाढ़ पूर्व स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं के निरंतर एवं सुरक्षित संचालन तथा पूर्व तैयारी'' पर एक दिवसीय कार्यशाला

(प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक– 07 जनू, 2018)

हर वर्ष, बिहार सरकार दिनांक 01–07 जून तक **''बाढ़ सुरक्षा सप्ताह''** का आयोजन करती है। यह एक अवसर होता है कि पूरे राज्य में बाढ़ की विभिषिका के खिलाफ चल रहे अभियानों को सशक्त किया जाय। इसके तहत विभिन्न हितधारका के सक्रिय भागिदारी से बाढ़ के पूर्व बचाव की तैयारी एवं बाढ़ के पश्चात् समुचित राहत कार्यों को मजबूत करने का प्रयास है। इस वर्ष बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अगुवाई में विभिन्न राष्ट्रोय एवं राज्य स्तरीय विभागों, आई.एन.जी.ओ. एवं सामाजिक संगठनों की भागीदारी के साथ बाढ़ सुरक्षा सप्ताह के अंतिम दिन बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग (आई0सी0डी0एस0) तथा यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से ''बाढ़ पूर्व स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं के निरंतर एवं सुरक्षित संचालन तथा पूर्व तैयारी'' पर कार्यशाला का आयोजन होटल चाणक्या में किया गया।

इस कार्यशाला में बाढ़ से बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण पर होने वाले कुप्रभावों को कम हेतु विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गई। वर्ष 2017 के बाढ़ से प्रभावित 8 जिलों यथा किशनगंज,पूर्णिया, कटिहार, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण एवं सीतामढ़ी जिले में आँगनबाड़ी केन्द्रों तथा स्वास्थ्य उप केन्द्रों के क्षति का आकलन एवं रिकवरी तथा बाढ़ पूर्व तैयारी की दिशा में बेहतर कार्य को साझा किया गया।

कार्यशाला का उद्घाटन दीप प्रजवलित कर माननीय मंत्री, श्रीमति मंजु वर्मा, समाज कल्याण विभाग द्वारा किया गया। माननीय मंत्री द्वारा अपने बचपन के अनुभवों तथा बाढ़ की विभीषिका के बारे में बताया और आज की परिस्थिति बाढ़ के संदर्भ में पूरा बदल गया हैं और सरकार की सराहना करते हुए कहा कि आज हमलोग कितने सजग हो चुके है कि बाढ़ पूर्व तैयारी की मुक्कमल व्यवस्था हेतु आँगनबाड़ी केन्द्रों ओर पोषण जैसे विषयों को भी समाहित किया है।

कार्यशाला में श्री अतुल प्रसाद, प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, श्री संजय कुमार, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, श्री रामचन्द्र डुडु, अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, श्री पी0 एन0 राय0, सदस्य, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं श्री व्यास जी, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपने–अपने अनुभवों को बताया।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, श्री व्यास जी ने कहा कि सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं के लिए भी आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015–2030 में वर्णित कार्य योजना को सुरक्षित बुनियादी सेवाओं जैसे पोषण व स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाने के लिए के लिए सूक्ष्म स्तर पर कार्य योजना का निरूपण मानक संचालन प्रक्रिया के रूप में किया जायेगा। यूनिसेफ द्वारा सोशल सेक्टर रिकवरी प्रोग्राम के ऊपर प्रस्तुति की गई।

भोजनोपरांत कार्यक्रम में योजना निर्माण सत्र में तीन समूहों में बाढ़ पूर्व स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं के निरंतर एवं सुरक्षित संचालन तथा पूर्व तैयारी के अलग–अलग पहलुओं पर चर्चा की गयी तथा एक निष्कर्ष तैयार किया गया। कार्यक्रम में जिले से सी0डी0पी0ओ0, यूनिसेफ, आई0सी0डी0एस0, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, एन0डी0आर0एफ0, ऑक्सफेम इंडिया, वर्ल्ड विजन, एन0जी0ओ0 एवं आई0एन0जी0ओ0 आदि उपस्थित थे।

सामाजिक क्षेत्र की सेवा-पोषण कार्यक्रम का आपदाओं के दौरान निर्बाध संचालन के लये पूर्व तैयारी एवं प्रबंधन हेतु - पटना घोषणा पत्र

आज दिनांक 7 जून , 2018 को सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं का आपदा आकस्मिकता के लए पूर्व तैयारी एवं प्रबंधन वषय की कार्यशाला भाग ले रहे प्रतिनि धयों से प्राप्त सुझावों के आलोक में पोषण के क्षेत्र में आपदा जो खम न्यूनीकरण की वृहत कार्ययोजना के अंतर्गत समे कत कार्य-योजना को इस घोषणा पत्र के माध्यम से अंगीकार कया जाता है। इसमें **10** प्रतिबद्धताएँ शा मल हैं जिन्हे अभी से लेकर वर्ष 2022 तक की अव ध के बीच हा सल कया जाएगा। पोषण के क्षेत्र में आपदा जो खम न्यूनीकरण की समे कत कार्य-योजना निम्नानुसार हैं-

1. राज्य सरकार के सभी संबन्धित वभागों एवं अन्य हितभा गयों को शा मल करते हुये राज्यव्यापी जागरूकता अ भयान के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में कुपोषण एवं एनी मया से होने वाले खतरों एवं एने मक तथा कुपो षत बच्चों पर आपदाओं के कुप्रभाओं को कम करने के प्रयासों , व्यवस्थाओं, ज्ञान एवं जानकारियों को प्रचारित एवं प्रसारित कर लोगों को जागरूक बनाया जाएगा ता क पोषण के समु चत तरीकों को अपनाकर राज्य को कुपोषण मुक्त बनाया जा सके।
2. बिहार राज्य आपदा जो खम न्यूनीकरण रोडमैप , 2015-2030 के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों/उपकेन्द्रों/अस्पतालों के भवन को चरणबद्ध रूप से रेट्रो फटिंग के माध्यम से आपदारोधी बनाया जायेगा एवं भ वष्य में नि र्मत होने वाले सभी भवन आपदारोधी तकनीक से ही बनाये जायेंगे। साथ ही चापाकल , हर घर नल जल के अंतर्गत स्था पत पेयजल संयंत्रों एवं शौचालयों को भी आपदा रोधी बनाया जायेगा।
3. सभी कुपो षत एवं अति कुपो षत (**MAM & SAM)** बच्चों की पहचान कर आपदा पूर्व तैयारी के क्रम में उनकी सूची तैयार कर ली जाएगी ता क आपदा के दौरान उन पर वशेष निगरानी रखी जा सके तथा उनको कुपोषण से होने वाले खतरों से बचाने का प्रबंध कया जा सके।
4. यह सुनिश्चित कया जाएगा क प्रत्येक आगनवाड़ी केंद्र के पोषक क्षेत्र में आने वाली सभी गर्भवती महिलाओं/ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से संवेदनशील की सूची संभा वत प्रसव ति थ के साथ तैयार की जाये एवं आपदा के

दौरान उनके सुर क्षत प्रसव हेतु स्वास्थ्य वभाग से समन्वय कर सभी संभव प्रबंध एवं व्यवस्था की जाये।

5. आपदा के दौरान राहत श वरों में पेयजल की सु वधा तथा स्वच्छता हेतु शौचालय एवं अन्य व्यवस्थाओं के साथ आंगनबाड़ी केंद्र एवं स्वास्थ्य केंद्र / **Maternity Hut** स्था पत कये जायेंगे ता क पोषण एवं स्वास्थ्य / मातृत्व सेवायें सभी संबन्धित को प्राप्त होती रहें साथ ही आपदा राहत श वरों में बच्चों के लए दूध एवं पौष्टिक आहार की सु वधा उपलब्ध कराई जायेगी।
6. यह सुनिश्चित कया जाएगा क आपदा राहत श वरों में धात्री माताओं के लए बच्चों को स्तनपान कराने के लए वशेष सुर क्षत जगह की व्यवस्था की जाये जिससे नवजात बच्चों को स्तनपान कराने में सु वधा हो। साथ ही धात्री माताओं के लए पौष्टिक आहार की सु वधा उपलब्ध कराई जायेगी।
7. यह सुनिश्चित कया जाएगा क आपदा प्रभा वत क्षेत्रों में बुनियादी सामाजिक सेवयँ बा धत न हों तथा सभी वशेष आवश्यकता वाले जनो के लए सुलभ व पहुँच योग्य हो।
8. बिहार राज्य आपदा जो खम न्यूनीकरण रोडमैप 2015-2030 में व र्णत सुर क्षत बुनियादी सेवाओं, जैसे पोषण, पेयजल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य को सुर क्षत बनाने के लए के लए ग्राम स्तर पर कार्य योजना का निरूपण मानक संचालन प्र क्रया के रूप में कया जायेगा।
9. यह सुनिश्चित कया जायेगा क पोषण , स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल आदि सभी सामाजिक सेवाओं की **delivery** में अ भसरण स्था पत कया जायेगा इसके लए माइक्रोप्लानिंग की प्र क्रया द्वारा कार्य योजना का निरूपण कया जायेगा जिससे आपदाओं की पूर्व तैयारी, आपदाओं के दौरान राहत व बचाव के कार्यों एवं आपदाओं के पश्चात पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण कार्यों में सभी बुनियादी सेवाएँ समे कत रूप से कार्यरत रहें।
10. यह सुनिश्चित कया जायेगा क सामाजिक क्षेत्र से संबन्धित वभागों को आपदा के पूर्व की तैयारी आपदाओं के शमन एवं रिसपोंसके लए वत्तीय संसाधनों का अभाव न हो।

इन्हीं 10 प्रतिबद्धताओं के माध्यम से पोषण के क्षेत्र में वशेषकर समाज के वं चत एवं कमजोर समुदाय वर्ग के लए वस्तृत एवं सूक्ष्म स्तर पर कार्य योजना का निरूपण कर लागू कया जायेगा। उपर्युक्त प्रतिबद्धताएँ मार्गदर्शी सद्धांत के रूप में काम करेंगी तथा सरकार के प्रशासनिक तंत्र के द्वारा बहुहितभागी सहभा गता एवं सहयोग जिसमे मी डया, गैर-सरकारी संगठन, निजी क्षेत्र एवं वशेषज्ञ शा मल होंगे। क्षमता वर्धन , ज्ञान प्रबंधन एवं जन जागरूकता के कार्यक्रमों में पर्याप्त निवेश कर आपदा जो खम न्यूनीकरण की प्र क्रयाओं को सुदृढ़ कया जायेगा।

यह घोषणा पत्र दिनांक 7 जून 2018 को बाढ़ सुरक्षा सप्ताह-2018 के समापन दिवस पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी पूर्व तैयारियों पर आयोजित कार्यशाला में उपस्थित पर सभी संबन्धित हितधारकों की सहमति से जारी कया गया।